न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :— 09 / 2025
निर्णय दिनांक :— 10.04.2025
पीठसीन अधिकारी :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. स्याणी देवी पत्नि स्व. श्री श्रवणलाल जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीया

बनाम

1. भोली देवी पत्नि स्व. श्री हरसुखा जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. रामलाल दत्तक पुत्र गीगा जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
3. कानाराम पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
4. नरेन्द्र पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
5. झुंथा पुत्र कज्जा जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
6. बालू दत्तक पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
7. राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
8. सुरेश पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
9. हीरा पुत्र कज्जा जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
10. गजानन्द पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
11. गणेश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
12. रामेश्वर पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला-(जयपुर)

लगातार.............................2

13. रामस्वरूप पुत्र बन्ना जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
14. बीला पत्नि सुरजकरण जाति जाट निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
15. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री रामस्वरूप चौधरी वकील प्रार्थीया
श्री पुरूषोत्तम शर्मा वकील अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 एल.आर.एक्ट</u>

निर्णय दिनांक :– 10.04.2025

1. वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 501, 503, 504, 512, 513 कुल किता 05 रकबा 0.8344 हैक्टेयर व खसरा नं. 502 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0632 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कुडली पटवार हल्का घटियाली भू.अभि.नि.क्षेत्र मण्डावरी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजी की प्रार्थीया एक मात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया की आराजीयात के लगवा अप्रार्थीगण आराजी खसरा नं. 498, 497, 865, 499, 500, 1060 / 1448, 1170, 1171, 15, 16, 19, 505, 506, 515, 06, 612, 631, 640, 1028, 1058, 1065, 1068, 1069, 507, 508, 511, 514, 516, 613, 634, 639, 643, 647 की आराजी भूमि स्थित है। तथा अप्रार्थीगण अपने अपने नाम के खसरा नम्बरान के आराजी भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि में मेर कोर को लेकर अप्रार्थीगण जब विवाद उत्पन्न करने लगे एवं अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने लगे तो प्रार्थीया ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2024 को श्रीमान उपतहसीलदार महोदय निमेडा के आदेश कमांक / भू.अ. / 24 / 1158 दिनांक 05. 06.2024 की पालना में ग्राम कुडली के आराजी खसरा नं. 501, 503, 504, 512, 513 कुल किता 05 रकबा 0.8344 हैक्टेयर व खसरा नं. 502 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0632 हैक्टेयर भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु पटवारी हल्का घटियाली मौके पर पहुंचा और मौके पर उपस्थित खातेदारान व अन्य ग्रामीणो की उपस्थित में उक्त खसरा नं. 517, 496, 386 एवं 414 किस्म गै० मु० चाह को मुस्तकील बिन्दु मानते हुये जरीब चलाकर आपस में मिलान

उपखण्ड अधिकारी
जिला–(जयपुर)

लगातार............................3

किया गया तत्पश्चात् उपरोक्त मुस्तकील बिन्दुओ से जरीब चलाकर आराजी खसरा नं. 501, 502, 503, 504, 512, 513 के समस्त कोनो को निशान लगवाकर उपस्थित लोगो को अवगत करवाया गया। उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान पूर्ण किया जाकर फर्द मौका रिपोर्ट बनाकर उपस्थित लोगो को पढ़कर सुनाकर उपस्थित मोतबिरान के हस्ताक्षर /अंगुठा निशानी करवाये गये। प्रार्थीया के आराजी खसरा नं. 501, 503, 504, 512, 513 कुल किता 05 रकबा 0.8344 हैक्टेयर व खसरा नं. 502 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0632 हैक्टेयर भूमि के अप्रार्थीगण पडौसी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के अप्रार्थीगण / पडौसी खातेदारो ने सीमा विवाद उत्पन्न कर जबरन प्रार्थीया की भूमि को अपनी आराजी में मिलाकर अपने हिस्से से अधिक भूमि में काश्त करना चाहते है। इसलिये प्रार्थीया द्वारा अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवा लिया गया है। जो सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है। प्रार्थीया अनपढ महिला है इसलिये प्रार्थीया अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2024 के आधार पर अपनी खातेदारी आराजी के चारो और हदूदू कायम कर पत्थरगढी करवाना चाहती है ताकि प्रार्थीया अपनी आराजी भूमि को अपनी आवश्यकता अनुसार उन्नत व उपजाउ बना सके तथा आवारा पशुओ से पशुओ की सुरक्षा की जा सके। प्रार्थीया द्वारा पटवारी हल्का घटियाली से करवाये गये सीमाज्ञान के पश्चात् पटवारी हल्का घटियाली द्वारा बताये गये सीमा चिन्हों पर पत्थरगढी होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि तारबन्दी सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी पश्चात् भविष्य में सीमा चिन्हों को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद पडौसी खातेदारान के साथ विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। इस कारण प्रार्थीया को यह पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2024 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार यदि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी का आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उत्पन्न विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीया को न्याय मिल सकेगा। प्रार्थना पत्र पत्थरगढी को सुनने एवं निस्तारण करने का मान्य न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 व 6, 10, 11, 12, 14 के विरूद्ध दिनांक 28.02.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं. 5 लगातय 13 की तरफ से वकील श्री पुरूषोत्तम शर्मा उपस्थित हुए तथा अप्रार्थीगण की ओर से पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन

लगातार.........................4

काथी.जिला-(जयपुर)

करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम कुडली के खाता सं0 418 के आराजी ख0नं0 501, 503, 504, 512, 513 में प्रार्थीयाया रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकन किया है कि उक्त आराजी का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2024 को करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीया की भूमि मे अवैधनिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश :–

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 501, 503, 504, 512, 513 कुल किता 05 रकबा 0.8344 हैक्टेयर व खसरा नं. 502 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0632 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

10/4/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला (जयपुर)

सत्यमेव जयते
जिला–जयपुर